

कारेन हेस्टिंग्स के बाद अंग्रेज शासकों ने नू राज्य के लिए मुख्य रूप से तीन पद्धतियाँ चलाई — स्थायी कदीवस्त प्रणाली, रयतवारी पद्धति और महलकारी पद्धति।

स्थायी कदीवस्त पद्धति

लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी कदीवस्त की प्रणाली प्रारंभ की और इसे बंगाल में कार्यान्वित किया। कार्नवालिस को संचालकों द्वारा यह आदेश मिला कि वह ऐसा प्रबंध करे जिससे कंपनी को लाभ हो, भारत के किसानों को भी प्रसन्नता मिले और सू-परिवर्गों को भी सुरक्षा हो। भारत पहुँचने से लॉर्ड कार्नवालिस ने ग्रामीण विषयक प्रस्ताव दस्तूरी, पुरी और लगानों के सम्बन्ध में जॉन्स-पड़वाल के आदेश दे दिए।

सदर जान शीर ने अपनी बड़ी महद की उन्होंने 1789 ई० में एक विस्तृत पत्र तैयार किया जिसमें प्रस्तावित व्यवस्था के स्वतंत्रता आदि का विवरण दिया गया था। उन्होंने जमींदारों को विरासत के आकार पर सू-स्वामी बनाने की आवश्यकता को उचित बताया। इसी खाई को वे मादाम से वे 'सरकार के लिए निश्चय राजस्व और प्रजा की सुरक्षा' का लक्ष्य प्राप्त कराना चाहते थे।

22 मार्च को कार्नवालिस ने एक आर्वादेश से खाई व्यवस्था लागू करने जाने की घोषणा की। एक नू कि ग्रामीण का लगान हमेशा के लिए निश्चय किया जाना था इसलिए कसकी राशि बहुत अधिक रखी गई।

~~बदौबस्त योजना से निम्नलिखित लाभ की संभवताएं भी -~~

(1) ~~भूमि से प्राप्त होने वाली लागत की राशि निश्चित रूप से निर्धारित हो जाएगी और कंपनी के अधिकारियों को अन्य क्षेत्रों की ओर ध्यान देने के लिए समय मिल जाएगा।~~
~~लागत चुकाये जाने में कोई कठिनाई और कमी को ध्यान से मुह्य हो जाएगी।~~

(2) ~~राजस्व वृद्धि की चिन्ता न होने पर जमींदार कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहित रहेंगे, इसके कृषि योग्य भूमि का विस्तार करेंगे इससे बंगाल का निर्यात व्यापार बढ़ेगा और व्यापार में समृद्धि और सम्पन्नता आएगी।~~

(3) ~~अंग्रेजों के लिए लाभ यह था कि इससे धन-निष्कासन में सहायता मिलने वाली थी और इंग्लैंड ही इसके लाभान्वित होगा।~~

~~स्थानीय बदौबस्त की लागू करने से पहले गहन वाद-विवाद हुए। वाद-विवाद में राजस्व वीड के अद्यतन सर जोन और तथा आर्गिलेख पाल (रिपोर्ट कीपर) जेम्स ग्राह सम्मिलित थे।~~

~~भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित तीन प्रश्न थे : सम्मतीना किसके साथ किया जाए - जमींदारों के साथ या किसानों के साथ ? भूमि उपज में सरकार के राजस्व का कितना भाग हो ? और सम्मतीना की अवधि कुछ वर्षों के लिए हो या स्थायी हो ? इन प्रश्नों पर वीड कार्निवालिस, सर जोन और और ग्राह के मध्य वाद-विवाद हुआ और अंत में~~

निर्णय लिया गया।

सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न पर विचार किया गया कि जमींदारों को राजस्व के संग्रह की जिम्मेदारी दी जाए या उसे भूमि का स्वामी बना दिया जाए।

सर जॉन सीर का विचार था कि भूमि का स्वामी जमींदार है और राज्य केवल उनसे राजस्व का कुछ भाग मात्र प्राप्त कर सकता है। उनका यह भी कहना था कि जमींदार अपनी सारी भूमि को पर अपना अधिकार सुरक्षित रख अपनी सेवान को दे सकता है और उसे बेच सकता है।

ग्रेव का विचार इससे भिन्न था। उसका विचार था कि भूमि पर राज्य का अधिकार है और राज्य की ओर से जमींदार केवल भूमिदार के रूप में संग्रहकर्ता है। अतः सरकार जब चाहे तब उन्हें हटा सकती है। इसलिए सरकार जमींदारों या किसानों में से किसी से भी सम्झौता कर सकती है।

कार्लवालिस स्वयं इंग्लैंड का जमींदार था इसलिए वह सर जॉन सीर के विचारों से सहमत था। इसके अतिरिक्त कंपनी के अधिकारियों के पास न तो प्रशासनिक ज्ञान और अनुभव थे और न वे किसानों से व्यवसाय की अच्छी तरह जोड़ सकते थे। अतः कार्लवालिस ने जमींदारों से ही सम्झौता करने का निर्णय लिया।

इसका प्रश्न था कि भूमि को किससे ले और इसके निर्वाह का आयात क्या है?

ग्रेव का विचार था कि लगान को निश्चय करने का आयात भूमि की

पैदावार ही हो सकता है क्योंकि 1765 ई०
के बीच ही कंपनी ने पैदावार के आकार
लगात प्राप्त नहीं किया है, इसलिए लगात निरिखत
करने का आकार 1765 ई० में हुई पैदावार
और वसूल किया गया लगात होना चाहिए।

किंतु सर जॉन कोर इस विचार
को स्वीकार नहीं करना था। उसका विचार
था कि लगात को निरिखत करने का एकमात्र
आकार तत्कालीन वर्ष में एकत्र किया गया
लगात ही हो सकता है। अतः में लार्ड कार्न-
वालिस ने इस विषय में शीर के मत
का ही समर्थन किया और स्थायी बन्दोबस्त
1790-91 में वसूल किए गए लगात के आकार
पर स्वीकार किया गया अर्थात् २,68,00,000 रु०
को ही आकार स्वीकार किया गया।

अंतिम प्रश्न था बन्दोबस्त के समय
था। यह स्थायी हो या अस्थायी।
शीर कोर शीर यह दोनों चाहते थे कि
बन्दोबस्त स्थायी न होकर अस्थायी अर्थात्
कुछ वर्षों के लिए हो।

शीर का विचार था कि सू-
सम्पत्तियों का सन्निधान तथा उनका सीमाओं
का निर्धारण नहीं हुआ था। अतएव यह
अपस्था दूसरे वर्ष के लिए होनी चाहिए।

किंतु लार्ड कार्नवालिस का विचार
भिन्न था। वह स्थायी बन्दोबस्त का समर्थन
था। उसका कहना था कि इस वर्ष का समय
इतना चौड़ा है कि कोई भी अमीदार सूत से
खाई हुआ बाले का प्रपत्न नहीं करेगा।
कार्नवालिस के मत का समर्थन इंगलैंड
के प्रधानमंत्री पिट और नियंत्रक मेडल के
अध्यक्ष डोगस ने किया।

आपने निर्णय क्या किया कि
 कार्पवालिपु ने किया मैं लागू किया। सन्
 1793 ई० में जमींदारों के साथ एक दस
 वर्षीय समझौता किया गया और इंग्लैंड के
 सेचलको की स्वीकृति प्राप्त आ जाने पर 1793 ई०
 में इस व्यवस्था को स्थायी बना दिया गया।
 यह निश्चित किया गया कि
 जमींदार और उनके उत्तराधिकारी भूमि के
 लगान का एक भाग कंपनी को देंगे और
 एक भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास
 रखेंगे।

बंगाल में जमींदारों के जैसे चार वर्ग
 थे जिनके साथ 1793 ई० में लगान का स्थायी
 बंधोबस्त किया गया था। उनमें से एक तो
 कुछ विहार, असम और त्रिपुरा के राजाओं
 जैसे के सूलतः स्वतंत्र सरदार थे जो मुगल
 साम्राज्य को मजदूरी के रूप में लगान देकर
 अपने-अपने इलाकों में कब्जा जमाए रखते थे;
 दूसरे राजपूतानी, अर्धवान, दिनाजपुर आदि के
 राजाओं जैसे के पुराने जमींदार परिवार थे जो
 स्वतंत्र सरकारों की भांति सम्राट की निश्चित
 भूमिदार देते थे; तीसरे के लगान सेग्राहक
 थे जिन्हें मुगल सरकार ने लगान वसूल करने
 का अधिकार दिया था और कई परिदियों के
 उपरोक्त जितना औरदा पूर्ववर्ती होगया था; और
 चौथे के किसानों में जिन्हें ईस्ट इंडिया
 कंपनी को दीवानी के अधिकार प्राप्त हो जाने के
 बाद से लगान वसूल करने के काम का भार
 सौंपा गया था तथा जिन्हें सामान्यतः जमींदार
 आदर फुकारा जाने लगा था। इस वर्ग में
 न केवल बलकने के बहूतरे बलकने के
 जिनके दस लगान की कुल आम बिली देकर

जमींदारी प्राप्त कर ली थी कलकत्ता कंपनी ने
काम करने वाले ऐसे बहुत से जमीनदार
को भी जमीन कानून तथा भारतीय कानूनों
के नाम से जमीन ले रखी थी।
उपज की भूमि के तीन भागों
में: सरकार, बिचौलिया (जमींदार) और
वास्तविक (रेंज)।

दो भागों की स्थिति निर्दिष्ट कर दी
और भूमि की उपज में सरकार का भाग
हैमरा के लिए निर्धारित कर दिया गया।
इससे आवा के अधिकांश ही सरकार की
अधिकतम लाभ हुआ। जहाँ तक इस काल
के आर्थिक स्वरूप का प्रश्न था, इसके अनुसार
इतना अधिक भू-राजस्व निर्धारित किया गया
था जितना पहले कभी नहीं हुआ था।
भूमि के लगान में सरकार का भाग
80% निर्धारित किया गया जिसका परिणाम
यह हुआ कि जमींदार के पास भूमि से कुछ
से सत्त्व कामों के लिए बचत 11% ही
बोकी रहा। इस प्रकार अपनी आय में
होने वाली चिन्ताजनक कटौत से सरकार
मुक्त हो गई। और इसके वाणिज्यिक और
प्रशासनिक आवश्यकताओं - निवेश, भुगतान और
सरकारी व्यय की दृष्टि के लिए पर्याप्त आय
निश्चित हो गई।

इतना सकारण ने स्थायी बंदोबस्त
के पत्र - विपदा में बड़ी समीक्षा प्रस्तुत की है।
सर्वप्रथम स्थायी समाधान ने जमींदारों
को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी
और उनके बच्चों तथा कानूनी उत्तराधिकारियों
को जमीन मूल्य के बाद इस भूमि के

स्वामी बनने का अधिकार भी दिया। उन
 जमींदारों को अपनी जमीन को रखने के नाम
 परसे, बेचने तथा देना रखने का भी अधिकार
 था लेकिन यह भी व्यवस्था की गई कि
 अगर वे सरकारी खजाने में एक निश्चित
 तिथि तक जगत जमा नहीं कर पाते तो
 उनके सभी अधिकार समाप्त हो जायेंगे। स्वामी
 समाधान में हमेशा के लिए वह शक्ति निष्कासित
 हो गई जो सरकार को जमींदार से प्राप्त करनी
 थी।

जमींदारों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई
 कि वे पट्टे पर जमीन लेने वालों के अधिकारों
 की रक्षा करेंगे और पट्टे से स्पष्ट रूप से
 बताया जाएगा कि जमीन कितनी दी गई है
 और इस पर कितनी राशि ली जाएगी।
 लेकिन असंभव शब्दों में
 यह भी कहा गया कि इस व्यवस्था के
 अन्तर्गत जमींदारों पर वे नियम और
 कानून लागू होंगे जो ब्रिटिश सरकार पट्टेदारों
 के पट्टे की अवधि के दौरान उनके
 अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा के लिए
 तथा उन्हें दान से बचाने के लिए या जंगल
 जोर जुर्माने करके पैसा लेने के विरुद्ध
 बनाएगा।

इसकी सही रक्षा करने हुए सर्वोच्च न्यायालय
 (जिसे सर्वोच्च न्यायालय के रिट्स और इंडिया, 1952
 1.35) में लिखा है कि "यह एक
 सार्वभौमिक तथा सुविधापूर्ण कदम था। किसानों
 ने पहली बार शक्ति से काम लिया, प्रचुर
 मात्रा में अनुसंधान की, उत्पादन बढ़ा,
 तथा अंतर्गत में अतीव सुधार हुआ।"

लेकिन आनेचके में विरोध कर होस के अनुसार स्वामी कल्पना एक दुखद भूल थी। साधारण किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। जमीदार निरंतर लगान देने में असमर्थ रहे जिसके फलस्वरूप सरकार को बाल-बाल उनकी सम्पत्ति खेवनी पड़ी।

क आर्थिक लाभ —

अब राज की आज निश्चित हो गई। फलस्वरूप किसान की अनिश्चितता इसे प्रभावित नहीं कर सकी। लगान की ब्राह्मण व्यवस्था कले से भी सरकार को मुक्ति मिल गई। अब कंपनी के वर्ग-वर्ग आर्थिक स्वतंत्रता के साथ न्याय, शासन और व्यापार आदि का काम कर सकते थे।

इससे बड़ा लाभ तो यह था कि किसानों से कसूल करके जमींदारों द्वारा लगान लिए जाने के कारण कंपनी को आर्थिक जड़ काया मजबूत हो गई। जमींदारों ने कृषि कार्य में आधुनिक दिखलानी प्रारंभ की जो कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने से अधिकतर लाभ उन्हें ही प्राप्त था। जमींदारों को न्याय तथा शान्ति स्थापन के कार्य से प्रयत्न कर दिया गया। परिणामस्वरूप के कृषि के विकास में सहायता हो गई।

इस अवस्था से कंपनी को राजनीतिक लाभ भी मिले। जमींदार प्रति के स्वामी बना दिए गए थे। ये प्रत्येक स्थिति में कंपनी को राजनीतिक लाभ देने लगे। इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की।

सामाजिक दृष्टि से यह आशा नहीं की जा सकती कि अब जमींदार किसानों के सामाजिक सेवा कर गए अर्थात् वे कृषकों के

उत्पादन के लिए किसानों का प्रयास करेगा और समाज सेवा में हाथ बंधायेगा।
 डॉ. विलियम वेरिक ने कहा कि कई मामलों में और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असफल होने के कारण स्वामी वर्धेकर का काम-सि-काम एक बहुत बड़ा फायदा है कि और वह यह कि सभी 'मू-स्वामियों' का एक ऐसा विकास संगठन बना दिया गया है जो उन्हें दिल से यह चाहता है कि अंग्रेजी राज कना रहे" और इसका मतलब पर दवाक फायदा रहे।
 व्यक्ति बाद के वर्षों में यह शीघ्र ही उत्पीड़न और शोषण का साक्ष्य बन गई।

सरकार को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। व्यवस्था करते समय केवल स्वामी भूमि के लिए निष्पक्ष किया गया था, भूमि उत्पादन की भावी इच्छा, जहाँ से और ध्यान नहीं दिया गया था। जब जंगलों को सामान्य कृषि योग्य बनाया गया तो आर्थिक आय अर्जन्तों के पास ही रही।

जंगल में आर्थिक अवनति हुई। कुछ कृषि सुधार और उन्नति के लिए लालाधित नहीं थे। वे निरंतर आलोचना करते थे कि वे भूमि के स्वामी नहीं थे। अतः सरकार के आदेश से अपनी भूमि से वेक्सल कर दिए जा सकते थे।
 जमींदारों से हर तरह का किलासिवा में डूब गए और इन साधनों को प्राप्त करने के लिए किसानों का शोषण प्रारंभ कर दिया।